अंतिम डिक्री मुकदमा

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट दीगोद जिला कोटा

उनवान

जगन्नाथी बाई पुत्री भैरूलाल जाति धाकड निवासी जाखडोंन तहसील दीगोद जिला कोटा

– वादनी

बनाम

1. छीतरलाल पुत्र चतुर्भुज
2. सूरजमल पुत्र चतुर्भुज
3. रामचन्द्र पुत्र चतुर्भुज
4. धन्नालाल पुत्र चतुर्भुज जाति धाकड निवासी जाखडोंन तहसील दीगोद जिला कोटा
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53–183–188 आर0टी0एक्ट

मिसल नम्बर–105/11

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू मुझ तारामती वैष्णव आर.ए.एस. बहाजिरी श्री प्रमोद चौधरी एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रुबरु मिनजानिब श्री शिवप्रसाद शर्मा एडवोकेट मुद्दालयह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि ''वाद वादनी खारिज किया जाता है तथा काउण्टर क्लेम प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि ग्राम जाखडोंन तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 428 रकबा 1.60 हे0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड से वादनी जगन्नाथी बाई का नाम डिलीट किया जाता है, प्रतिवादीगण छीतरलाल, सूरजमल, रामचन्द्र, धन्नालाल पुत्रान चतुर्भुज को ख0नं0 428 रकबा 1.60 हे0 भूमि (सम्पूर्ण) का खातेदार घोषित किया जाता है।'' तद्नुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है।

मेरे दस्तख्त व मोहर अदालत से आज दिनांक 09.03.2018 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा	स्टाम्प अर्जी दावा

Scanned by CamScanner

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुदालयह	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

खर्चा उभय पक्ष अपना–अपना वहन करेंगे।

(तारामती वैष्णव)
सहायक कलक्टर,
दीगोद

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, दीगोद

पीठासीन अधिकारी – तारामती वैष्णव (R.A.S.)
प्रकरण संख्या–105/11

उनवान

उनवान– जगन्नाथी बाई बनाम छीतरलाल वगै0
वाद अन्तर्गत धारा 53–183–188 आर0टी0एक्ट के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र
अन्तर्गत धारा 239 आर0टी0एक्ट

उपस्थित – श्री प्रमोद चौधरी एडवोकेट प्रार्थीया की ओर से
– श्री शिवप्रसाद शर्मा प्रतिपक्षीगण की ओर से

–::आदेश::–

प्रार्थीया जगन्नाथी बाई की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 239 आर0टी0एक्ट इस कथन के साथ पेश किया कि उक्त उनवान का मुकद्मा माननीय न्यायालय में जैरकार है, जिसमें आज पेशी नियत है। उक्त मुकद्में में प्रतिवादी द्वारा काउण्टर क्लेम प्रस्तुत कर यह तथ्य अंकित किये है कि वादनी के पिता भैरूलाल द्वारा ख0नं0 438 की 1.41 हे0 भूमि का बैचान किया जा चुका है इसलिए वादनी/प्रार्थीया का ख0नं0 428 की 1.60 हे0 भूमि पर कोई स्वामित्व नहीं रहता है। उक्त तथ्यों का प्रार्थीया द्वारा जवाब उल जवाब प्रस्तुत कर खण्डन किया है तथा इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय द्वारा तनकी भी कायम की गई है। इसलिए ख0नं0 428 रकबा 1.60 हे0 भूमि पर प्रार्थीया के स्वामित्व के अधिकार का निर्धारण होना है, इसलिए उक्त तनकी का निस्तारण मात्र सिविल न्यायालय द्वारा ही किया जा सकता है, इसलिए उक्त तनकी के निस्तारण हेतु एवं वाद पत्र में वर्णित भूमि के स्वामित्व के निर्धारण हेतु उक्त मुकद्में को सिविल न्यायालय में भिजवाया जाना न्याय हित में आवश्यक है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थीया की ओर से निवेदन किया है कि तनकी नं0 5 व 6 के निर्धारण हेतु उक्त मुकद्में को सिविल न्यायालय में भिजवानें की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होनें पर प्रार्थना पत्र की प्रति सम्बन्धित हो उपलब्ध करवाई गई। वकील प्रतिपक्षीगण द्वारा प्रार्थना 239 आरटीएक्ट का जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र प्रार्थीया अस्वीकार कर विशेष कथन किये कि प्रतिवादीगण के काउण्टर क्लेम का वादनी द्वारा जवाब उल जवाब प्रस्तुत किया जा चुका है व

Scanned by CamScanner

तनकी कायम की जा चुकी है, जिससे उक्त प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में पोषणीय नहीं होनें से खारिज होनें योग्य है।

जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त प्रार्थना पत्र खारिज फरमाये जानें का आदेश प्रदान करें।

प्रार्थना पत्र पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। विद्वान वकील प्रार्थीया नें बहस में कथन किये कि तनकी नं0 5 व 6 में विवादित आराजी के सम्बन्ध में स्वामित्व का निर्धारण किया जाना है। धारा 239 आरटीएक्ट में यदि स्वामित्व सम्वन्धि अधिकारों का निर्धारण किया जाना हो तो सिविल न्यायालय द्वारा ही किया जा सकता है। जिससे धारा 239 आरटीएक्ट के तहत मुकद्में को सिविल न्यायालय में भिजवाया जाना आवश्यक है। अतः तनकी नं0 5 व 6 के निर्धारण हेतु प्रकरण को सिविल न्यायालय में भेजा जावें।

विद्वान वकील प्रतिपक्षीगण नें दौरानें बहस कथन किये कि प्रकरण धारा 53–183–188 आरटीएक्ट के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है, जिसमें प्रतिवादीगण द्वारा काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया और वादनी की ओर से जवाब उल जवाब पेश किया जाकर तनकीयात् कायम की गई है। तनकी नं0 5 व 6 पर साक्ष्य प्रस्तुत की गई है तथा प्रकरण निर्णय में थी, उसी स्तर पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें।

वाद बहस पत्रावली का अवलोकन किया गया, तथा उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कादि पर मनन किया और धारा 239 आरटीएक्ट में वर्णित तथ्यों के सम्बन्ध में विधिक विचारण किया। प्रार्थीया की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित किया गया है कि विवादित ख0नं0 428 रकबा 1.60 हे0 भूमि पर प्रार्थीया के स्वामित्व के अधिकार का निर्धारण होना है, इसलिए उक्त तनकी का निस्तारण मात्र सिविल न्यायालय द्वारा ही किया जा सकता है, इसलिए तनकी नं0 5 व 6 के निस्तारण हेतु एवं वाद पत्र में वर्णित भूमि के स्वामित्व के निर्धारण हेतु उक्त मुकद्में को सिविल न्यायालय में भिजवाया जाना आवश्यक है। प्रार्थीया के उक्त कथन के संदर्भ में हम यह पाते है कि विवादित भूमि में स्वामित्व के निर्धारण का अधिकार राजस्व न्यायालयों को प्राप्त है तथा उक्त अधिकारों के अनुसरण में स्वामित्व के निर्धारण के लिए राजस्व न्यायालयों को भी निर्णय पारित किये जानें की शक्तियां प्राप्त है।

Scanned by CamScanner

आर0टी0एक्ट की धारा 239 में अंकित स्पष्टीकरण (1) में वर्णित है कि "स्वामित्व के अधिकार की ऐसी उक्ति जो स्पष्टतया स्वीकार करनें योग्य न हो और राजस्व न्यायालय के विचाराधिकार को बहिष्कृत करनें की इच्छा से ही गई हो, इस धारा के अर्थान्तर्गत, स्वामित्व के अधिकार को प्रश्न उत्पन्न करनें वाली नहीं समझी जावेगी।"

प्रस्तुत प्रकरण में वर्णित आराजी के सम्बन्ध में प्रार्थीया के विवादित आराजी में स्वत्व के निर्धारण के सम्बन्ध में यदि कोई आपत्ति या संशय था तो तनकीयान् के निर्धारण के समय में ही आपत्ति की जानी चाहिए थी, कि तनकी नं0 5 व 6 के निर्धारण का अधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त नहीं है। चूंकि उक्त प्रकरण में अंतिम बहस सुनी जा चुकी है तथा पत्रावली निर्णय में थी, ऐसी स्थिति में प्रार्थीया/वादनी की ओर से यह प्रार्थना पत्र मात्र न्यायालय का समय नष्ट करनें एवं वाद लम्बित करनें की मंशा से प्रस्तुत किया गया है, ऐसा प्रतीत होता है। यदि प्रार्थीया को विवादित आराजी में अपनें स्वामित्व के निर्धारण हेतु सिविल न्यायालय में प्रकरण को सुनवाई हेतु भिजवाना है तो, प्रार्थीया/वादनी पूर्व में ही अपनें स्वत्व को निर्धारण सिविल न्यायालय से करवाती, प्रकरण के इस स्तर पर प्रार्थीया/वादनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होता है।

अतः प्रार्थीया/वादनी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 239 आर0टी0एक्ट खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति सम्बन्धित पत्रावली सं0 105/2011 में संलग्न की जावें।

आदेश आज दिनॉक 09/03/2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(तारामती वैष्णव)
सहायक कलक्टर,
दीगोद

Scanned by CamScanner